छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़,
शंकरनगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 235/2006</u>

श्री भावीन जैन, डी–6, आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था, पचपेड़ी नाका, रायपुर (छत्तीसगढ़)	. . . . .	आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)	. . . . .	अनावेदक

:: आदेश ::

(14 जून 2006)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री भावीन जैन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 18(1) के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत की कि उसे लोक सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को एक आवेदन पत्र शुल्क सहित देकर आवेदन पत्र में उल्लेखित सूचनाएँ चाही। सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को केवल एक जानकारी दी गई, जबकि आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 3–1–2006 द्वारा अन्य जानकारियाँ भी चाही गई थी। आवेदक के द्वारा इसके विरूद्ध आयोग को शिकायत की गई। आयोग के द्वारा लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी की ओर से अनुभाग अधिकारी उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा उल्लेखित उत्तर प्रस्तुत किया गया।

आवेदक एवं जन सूचना अधिकारी का उत्तर अवलोकन किया गया। आवेदक का यह तर्क है कि मांगी गई सूचनाएँ जन सूचना अधिकारी के पहुंच में है, क्योंकि जन सूचना अधिकारी सहकारिता विभाग का जन सूचना अधिकारी है जिसके अधीनस्थ सहकारिता विभाग का संपूर्ण अमला कार्यरत है। आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 10 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी, जिसमें कि राजपत्रित अधिकारी के स्वीकृत पद भी राजपत्रित अधिकारी जिन्हें कि अतिरिक्त उच्च पदों का कार्यभार दिया गया, ऐसे आदेश देने के लिए कौन अधिकारी सक्षम हैं। उप पंजीयक महासमुंद, धमतरी, कवर्धा, जांजगीरचांपा, कोरबा आदि को पंजीयक की शक्तियाँ राज्य शासन के किन–किन आदेशों के द्वारा दी गई। उनके द्वारा निर्णित प्रकरणों की संख्या तथा क्या वे वैधानिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सक्षम हैं

आदि। लोक सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के द्वाराा बतलाया गया कि यह सभी जानकारियाँ उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जो जानकारी कार्यालय में उपलब्ध थी, वे उन्हें दे दी गई। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया कि आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारी लोक हित में नहीं है, इसलिए उसे दिया जाना अधिनियम के अंतर्गत नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग का यह उत्तर कि मांगी गई सूचना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मंत्रालय स्तर पर विभाग की जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है। जन सामान्य शासन के वरिष्ठतम स्तर से भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते तो उसे किस प्रकार जानकारी प्राप्त होगी। लोक सूचना अधिकारी को पंजीयक से जानकारी बुलाना था। कुछ ऐसी भी जानकारी है, जैसे कि प्रथम श्रेणी अधिकारी को कुछ पदों पर कार्य करने की शक्तियां राज्य शासन के द्वारा ही सौंपी गई होंगी। अतः ऐसे आदेश शासन स्तर पर उपलब्ध हो सकते हैं। यदि प्रथम श्रेणी के अधिकारी को वरिष्ठ स्तर का कार्य सौंपा गया है तथा क्या वे अधिनियम की शक्तियाँ उपयोग करने के लिए सक्षम हैं अथवा नहीं। इसके संबंध में दिशा निर्देश राज्य शासन स्तर पर ही उपलब्ध हो सकते हैं। इस प्रकार की शक्तियां सौंपने के आदेश की प्रतिलिपियाँ आवेदक को दी जा सकती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जन सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध कराने के लिए सक्षम प्रयास नहीं किये हैं। अतः जन सूचना अधिकारी, सहकारिता विभाग को आदेश दिये जाते हैं कि वे 15 दिनों के अंदर आवेदक को आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारियाँ जो कि विभाग अथवा पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध है, वे निःशुल्क उसे प्रदाय करें।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त